झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान– सभा

द्वादश– सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 25 अग्रहायण, 1935 [श0] / 16 दिसम्बर, 2013 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को संसूचित की गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
01–	अ0सू0– 15	श्री गुरूचरण नायक	पदस्थापन पर विचार	योजना एवं विकास	11.12.2013
02–	अ0सू0– 04	श्री सौरभ नारायण सिंह	थाना का स्थानांतरण	गृह	06.12.2013
03–	अ0सू0– 01	श्री विनोद कु0 सिंह	स्थानीयतानीति का निर्धारण	कार्मिक	06.12.2013
04–	अ0सू0– 09	श्री मथुरा प्रसाद महतो	लिलोरी स्थल का सौन्दर्यीकरण।	पर्यटन	11.12.2013
05–	अ0सू0–07	श्री माधवलाल सिंह	प्रमाणपत्र निर्गत करना	कार्मिक से सूचना प्रौद्योगिकी में स्थानान्तरित	09.12.2013
06–	अ0सू0– 11	श्री कमल किशोर भगत	सेवा में वापस लेना	कार्मिक से ग्रा० विकास विभाग में स्थानान्तरित	11.12.2013

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
07–	अ0सू0– 13	श्री प्रदीप यादव	दोषी बैंक प्रबंधक पर कार्रवाई	~~वित्त~~ गृह	11.12.2013
08–	अ0सू0– 14	श्री प्रदीप यादव	जमाराशि वापस करना	वित्त	11.12.2013
09–	अ0सू0– 16	श्री पौलुस सुरीन	सरकारी नौकरी एवं मुवावजा देना।	गृह	11.12.2013
10–	अ0सू0– 10	श्री कमल किशोर भगत	अहर्त्ता निर्धारण पर विचार	गृह	11.12.2013
11–	अ0सू0– 12	श्री दीपक बिरूवा	प्रोन्नति में आरक्षण लाभ देने का औचित्य।	कार्मिक	11.12.2013
12–	अ0सू0– 03	श्री बंधु तिर्की	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई	कार्मिक	06.12.2013
13–	अ0सू0– 05	श्री सौरभनारायण सिंह	सुविधा प्रदान करना	गृह	06.12.2013
14–	अ0सू0– 02	श्री विनोद कु0 सिंह	आश्रितों को नौकरी देना	गृह	06.12.2013
15–	अ0सू0– 08	श्री मथुरा प्रसाद महतो	सम्मानित राशि देना	गृह	11.12.2013
16–	अ0सू0– 06	श्री बंधु तिर्की	उम्रसीमा बढ़ाना	कार्मिक	06.12.2013

राँची,
दिनांक– 16 दिसम्बर, 2013 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

(कृ0 पृ0 उ0)

ज्ञापांक– झा0वि0स0(प्रश्न)–03/07........616........../वि0स0, रांची, दिनांक– 14/12/13

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कमलेश 14/12/13

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0(प्रश्न)–03/07........616........../वि0स0, रांची, दिनांक– 14/12/13

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव/उप सचिव (प्रश्न) के अपर सचिव, को क्रमशः सूचनार्थ प्रेषित।

कमलेश 14/12/13

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

13/12/13

सुभाष

(1)

श्री गुरूचरण नायक, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–15 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि अधिसूचना संख्या–1541, दिनांक 09/10/2013 द्वारा दी गई प्रोन्नति सहायक योजना पदाधिकारियों को प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी बनाया गया है,	योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–1541, दिनांक 09.10.2013 द्वारा श्री सुरेश राय, श्री सुरेश्वर महतो, श्री कृष्ण नन्दन मिश्र, श्री अरविन्द कुमार एवं श्री अरूण कुमार सिंह को अवर योजना पदाधिकारी के पद से प्रोन्नति देते हुए सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया है। तदोपरान्त योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–1692, दि0 13.11.2013 के द्वारा उक्त सभी नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों में सहायक योजना पदाधिकारी के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया गया है। साथ ही ऐसे जिले जहॉ पर जिला योजना पदाधिकारी के पद पर कोई पदाधिकारी कार्यरत नहीं था, वहॉ नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को अपने ही वेतनमान में प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी के प्रभार में रखा गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रभारी जिला योजना पदाधिकारियों में श्री कृष्ण नन्दन मिश्र, श्री अरविन्द कुमार और श्री अरूण कुमार सिंह का नाम सहायक योजना पदाधिकारी में शामिल है,	योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–1692, दिनांक 13.11.2013 के द्वारा नव पदस्थापित सहायक योजना पदाधिकारियों में से श्री सुरेश राय, श्री कृष्ण नन्दन मिश्र, श्री अरविन्द कुमार एवं श्री अरूण कुमार सिंह को उनके पदस्थापन जिले में जिला योजना पदाधिकारी का प्रभार दिया गया।
3.	क्या यह बात सही है कि उन प्रोन्नति पाये सहायक योजना पदाधिकारी में से श्री सुरेश्वर महतो सहायक योजना पदाधिकारी, रॉंची, जो उपरोक्त वर्णित तीनों सहायक योजना पदाधिकारियों में से लगभग 12 (बारह) साल वरिष्ठ है।	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि अधिसूचना संख्या–1541, दिनांक 09.10.2013 के आधार पर वरिष्ठ सहायक योजना पदाधिकारी श्री सुरेश्वर महतो सहायक योजना पदाधिकारी श्री सुरेश्वर महतो, सहायक योजना पदाधिकारी, रॉंची को प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी का प्रभारी नहीं देकर उनसे कनीय सहायक योजना पदाधिकारी को प्रभारी जिला योजना का प्रभार दिया गया है,	श्री सुरेश्वर महतो को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–1692, दिनांक 13.11.2013 द्वारा सहायक योजना पदाधिकारी, रॉंची के पद पर पदस्थापित किया गया। रॉंची जिले में पूर्व से ही उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग जिला योजना पदाधिकारी, रॉंची के अतिरिक्त प्रभार में अधिसूचित हैं। इसीलिए श्री सुरेश्वर महतो, सहायक योजना पदाधिकारी को रॉंची जिले के जिला योजना पदाधिकारी के प्रभारी का पदभार नहीं दिया गया है।
5.	यदि उपरोक्त वर्णित खण्डों उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित कनीय प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी की तरह श्री सुरेश्वर महतो सहायक योजना पदाधिकारी रॉंची को प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी का पद पर नियुक्ति करना चाहती है, यदि हा तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ऊपर अंकित कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है। तथापि श्री सुरेश्वर महतो, सहायक योजना पदाधिकारी की वरीयता को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय प्रोन्नति समिति की आगामी बैठक में इनके पुनः पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक–यो0वि0 अल्प सूचित–2/2012 1860   रॉंची, दिनांक 15/12/13

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञाप सं0–586 दिनांक 11.12.2013 के आलोक में 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/12/13
सरकार के संयुक्त सचिव

(2)

श्री सौरभ नारायण सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले अ०सू०–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिद्धी थाना हजारीबाग जिले में पड़ता है ;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला का कई गाँव गिद्धी थाना में पड़ता है जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रह है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक रामगढ़ जिला के कुछ गाँवो का गिद्दी थाना के अंतर्गत आने से सम्प्रति ग्रामिणों की कठिनाईयों का सूचना प्रतिवेदित नही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गिद्धी थाना को रामगढ़ जिले में रखने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	इस संबंध में आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, उपायुक्त, हजारीबाग एवं आरक्षी उपमहानिरीक्षक, हजारीबाग से प्रतिवदेन की मांग की गयी है । प्रतिवदेन प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–05/2013 7347/ राँची, दिनांक–15/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/13

सरकार के उप सचिव।

(3)

माननीय स0वि0स0, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01 का उतर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य स्थापना के 13 वर्ष पुर्ण होने के बावजूद अबतक स्थानयता नीति (डोमिसाइल) का निर्धारण नहीं हुआ है ?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि स्थानियता नीति की निर्धारण नहीं होने से तृतीय व चुतर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में राज्य के मुलवासियों का सम्पुर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है ?	अस्वीकारात्मक। नियुक्ति में पचास प्रतिशत पदों पर आरक्षण की सुविधा स्थानीय व्यक्ति को ही अनुमान्य है। शेष रिक्तियों में अनारक्षित वर्ग के लिए भी अधिसूचना सं0 3389, दिनांक 22.09.2001 के प्रसंग में निर्गत परिपत्र सं0–4156 दिनांक–17.07.2002 के आलोक में नियोजन के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जिससे राज्य के अभ्यर्थियों को अनुमान्य सुविधा प्राप्त होती है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार स्थानिय निवासियों के हित में स्थानियता नीति का (डोमिसाइल) निर्धारण करने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं क्यों तो क्यों ?	स्थानीय व्यक्ति की पहचान की क्राईटेरिया निर्धारित करने हेतु विभागीय संकल्प सं0–1885 दिनांक–09.04. 2011 द्वारा एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था। इस सम्बन्ध में उपसमिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पाया। विभागीय संकल्प सं0–11975 दिनांक–12.12.2013 द्वारा पुनः एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–08/2013 का॰–......................../रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि–दो सौ प्रतियों में उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–241 दिनांक–06.12.2013 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–08/2013 का॰–12034/रांची, दिनांक 13/12/13

प्रतिलिपि–उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवाल एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रांची तथा अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–11, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/13
सरकार के उप सचिव।

4

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 16.12.2013 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – अ०स० 09 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या वाघमारा प्रखण्ड (धनबाद जिला) के गंगापुर ग्राम के लिलोरी स्थल का सौन्दर्यीकरण करने का विचार रखती है ;	1.	वस्तुस्थिति यह है कि :– I. जिला परिषद्, धनबाद की निधि से विवाह मंडप तथा पागोड़ा का निर्माण कराया गया है। II. कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, धनबाद के द्वारा लिलोरी पार्क का सौन्दर्यीकरण भाग –1 के अन्तर्गत कैफेटेरिया/शौचालय/चिल्ड्रेन पार्क/पार्क के अंदर पी०सी०सी० रोड एवं भाग –2 के अन्तर्गत पार्क की चहारदिवारी का कार्य किया गया है। III. इसके अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद के द्वारा लिलोरी स्थल के पीछे कतरी नदी जोरिया पर आवागमन की सुविधा हेतु पुल निर्माण का डी०पी०आर० तैयार कर स्वीकृति हेतु सरकार को भेजा गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लिलोरी स्थल का सौन्दर्यीकरण करायेगी यदि यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2.	पर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए यह पर्यटन विभाग के योजना के अधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/21/2013 1371 /राँची, दिनांक 14/12/13 /

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 585/वि०स०, दिनांक 11/12/2013 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के अवर सचिव

पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(5)

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–4

पत्रांक : सू0प्रौ0 / विधानसभा–60 / 2011 3790 राँची, दिनांक : 14.12.13

प्रेषक,

अरूण वाल्टर संगा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

उप सचिव,
झारखण्ड विधानसभा, रांची।

विषय : श्री माधवलाल सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–07 के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक–392 / वि0स0 दि0 09.12.13 तथा का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग का पत्रांक–11910 दि0 दिसम्बर–2013

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री माधवलाल सिंह, माननीय स0वि0स0 के अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–07 की कंडिकावार उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर समाग्री
1	क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण झारखण्ड में प्रखण्ड कार्यालय से निर्गत होने वाले प्रमाण पत्र वर्त्तमान में प्रज्ञा केन्द्रों से निर्गत किये जा रहे हैं?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रज्ञा केन्द्रों में प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त किये जाते हैं, जिन्हें संबंधित प्राधिकारों को उपलब्ध करा दिया जाता है। कार्यालयों द्वारा सम्यक् जाँचोपरांत प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं। प्रमाण पत्रों को निर्गत करने के लिए Right to Guarantee of Service Act-2011 के तहत समय सीमा निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि Electronic Service Delivery Act 2011 के तहत ऑन लाईन सेवाओं की Delivery की जाने की अनिवार्यता बनायी गयी है। प्रज्ञा केन्द्रों में आवेदन नागरिकों को उनके रहवासों के निकट जमा कराने का माध्यम है, एवं इस नाते सुविधाजनक है। वर्त्तमान में 154 प्रखण्डों के अधीनस्थ प्रज्ञा केन्द्रों द्वारा प्रमाण पत्रों को निर्गत किया जा रहा है। प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालयों की सूची संलग्न है, शेष 105 प्रखडों / अंचलों के अधीनस्थ प्रज्ञा केन्द्रों से प्रमाण पत्र देने हेतु प्रक्रिया की जा रही है। अनुलग्नक–संलग्न।
2	क्या यह बात सही है कि प्रश्न –01 में वर्णित प्रज्ञा केन्द्रों से प्रमाण पत्र निर्गत होने मे विलंब के कारण छात्र / छात्राओं उनके सुनहले अवसरों से वंचित हो जाते हैं।	प्रज्ञा केन्द्र मात्र आवेदन प्राप्त करने एवं निर्गत प्रमाण पत्रों के वितरण हेतु कार्यरत है। जैसे ही संबंधित कार्यालयों द्वारा प्रमाण पत्रों का अनुमोदन किया जाता है, आवेदको को SMS के माध्यम से सूचना दे दी जाती है, जो अपनी सुविधा अनुसार उन्हें प्रज्ञा केन्द्रों से प्राप्त कर सकते हैं।
3	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकात्मक है तो क्यों सरकार सम्पूर्ण झारखण्ड में पूर्व की भांति ही प्रखण्ड तथा अंचल	कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य जनता को उनके द्वार पर ही सभी सेवाओं को उपलब्ध कराने का है। राज्य सरकार द्वारा प्रज्ञा केन्द्रों से आवश्यक प्रमाण पत्रों के निर्गत होने से जहां

SL

	कार्यालय से ही प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यो?	एक ओर परियोजना में पारदर्शिता लाई जा रही है वहीं जन साधारण को पंचायत स्तर पर ही उपर्युक्त सेवाओं का लाभ लेने का अवसर मिल रहा है।

विश्वासभाजन

14/12/13

(अरूण वाल्टर संगा)
सरकार के उप सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त।

SL

(7)

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले अ०सू०–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि आई०सी०आई० सी०आई० बैंक गोड्डा शाखा में करोड़ो रूपये के घोटाले का पर्दाफास हुआ है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि सैकड़ो जमाकर्ताओं के खातों से फर्जीवाड़ा कर आई०सी०आई० सी०आई० बैंक गोड्डा के प्रबंधक ने ही स्वयं निकासी कर ली है ;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि बैंक जमाकर्ताओं के जमा धनराशि आज तक नही वापस हुई और न ही बैंक प्रबंधक पर कार्रवाई हुई ;	यह बात पूर्ण रूप से सही नहीं है। उपरोक्त बैंक के कुछ जमाकर्त्ताओं के जमा धन राशि की वापसी हुई है, शेष जमाकर्त्ताओं के जमा धन राशि की वापसी हेतु कार्रवाई की गई है। आई०सी०आई०सी०आई० बैंक गोडडा शाखा के प्रबंधक/उप प्रबंधक एवं बैंककर्मी के अन्य सहयोगियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर प्रबंधक एवं उप प्रबंधक तथा दो अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब जमाकर्ताओं के धन राशि ससमय वापस करने एवं दोषी बैंक प्रबंधक के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	दोषी बैंक प्रबंधक/उप प्रबंधक एवं बैंक के अन्य दो सहयोगी दोषियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–12/2013 7339/ राँची, दिनांक–14/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के उप सचिव।

(08)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16.12.2013 को चालू द्वादश (शीतकालीन) सत्र में पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 14 का उत्तर

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में दर्जनों ननबैंकिंग कम्पनी (यथा सन् प्लान्ट एग्रो लिमिटेड सन साइन ग्लोबल एग्रो लि0 एवं अपना परिवार एग्रो इण्डस्ट्रीज लि0 इत्यादि) सरकार की सहमति से अपना काम कर रही है ?	अस्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त ननबैंकिंग संस्थाओं में राज्य के करोड़ों गरीब जनता के अरबों रूपये जमा है ?	इस संबंध में सभी उपायुक्त से जाँच कराया जा रहा है एवं प्रतिवेदन की माँग की गई है ।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त ननबैंकिंग संस्थाओं के फर्जीवाड़ा के कारण जिन शर्त्तों के साथ जमा राशि जमाकर्त्ताओं को वापस किया जाना था नहीं हो पा रहा है ?	सरकार को इस संबंध में सूचना नहीं है । उपायुक्तों से सूचना प्राप्त की जा रही है । इस संबंध में अधिनियम तैयार किया गया है ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त कम्पनियों से अविलम्ब जमाकर्त्ताओं के जमा राशि ससमय वापस कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका– 1 के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है । कंडिका– 2 एवं 3 के आलोक में सूचना प्राप्त होने के पश्चात् समुचित कार्रवाई की जायगी ।

झारखण्ड सरकार
सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

ज्ञापांक:सां0वि0प्रश्न–48 / 2013 895 / राँची, दिनांक 14/12/2013/

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को प्रश्नोत्तर की 200 प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 14/12/13
(के0 के0 सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

Question

(9)

श्री पौलुस सुरीन, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले अ०सू०–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के कामडारा थाना के कुरकुरा ग्राम में दिनांक18.09.2006 को नरसंहार हुए थे जिसे 6 लोगो की मृत्यु एवं 24 लोग घायल हुए थे ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा मृतकों को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी तथा घायलों को 40,000 रूपये मुआवजा देने की घोषणा की गई थी ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सरकार द्वारा मृतकों को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई थी एवं घायलों के मुफ्त ईलाज की घोषणा की गयी थी।
3	क्या यह बात सही है कि मृतकों में डेलो बारला के आश्रित पुत्र चामु बारला जो दिनांक–05.02.2013 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके है को अभी तक सरकारी नौकरी नही दी गई है ;	छह मृतकों के आश्रितों में से पाँच आश्रितों को चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति की जा चुकी है। मृतक डेलो बारला के पुत्र चामु बारला के नाबालिग के होने के कारण नियुक्ति नही की जा सकी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चामु बारला को सरकारी नौकरी एवं 24 घायलों को घोषित मुआवजा देने की विचार रखती है, यादि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	श्री चामु बारला को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स०–106/2013 7346/ रॉंची, दिनांक– 15/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/13

सरकार के उप सचिव।

F:\Sandeep\Sec-7\Sandeep Vidhansabha\Tarankit Questions Answar March 12).doc P-66

श्री कमलकिशोर भगत, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले अ०सू०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य पुलिस बलों के अधीन सिपाहियों के नियुक्ति हेतु योग्यता निर्धारण मैट्रिक उत्तीर्ण कर दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के अनु० क्षेत्रों के अधीन के जिलों एवं अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हजारो की संख्या में आठवीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियाँ है जो सिपाही नियोजन में वंचित रह जायेंगे ;	अस्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि अन्य राज्यों जैसे बिहार, प० बंगाल आदि में सिपाहियों की बहाली हेतु योग्यता आठवीं उत्तीर्ण ही है ;	सम्बद्ध राज्यों से प्रतिवेदन मांगा जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सिपाही नियुक्ति में अन्य राज्यों की तर्ज पर न्यूनतम अहर्त्ता आठवीं उत्तीर्ण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों का उत्तर अस्वीकारात्मक है। अतः इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–12/2013 7333/ राँची, दिनांक–14/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

माननीय स0वि0स0 श्री दीपक बरूवा, द्वारा पूछा गया अल्पसूचित संख्या–अ0सू0–12 का उतर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पारित होने के क्रम में दिनांक–15.11.2000 से झारखण्ड राज्य का अलग अस्तित्व हो गया है;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या–70 दिनांक 11.06.1996, बिहार आरक्षण अधिनियम 15/2003 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या–72, दिनांक–13.02.2004 के आलोक में राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवरों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात जो बिहार के मूलवासी है।	स्वीकारात्मक।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त परिप्रेक्ष्य के आधार पर बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पदाधिकारी/कर्मचारियों को झारखण्ड राज्य में भी प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ देने का क्या औचित्य है।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र संख्या 5448 दिनांक 12.09.2011 के अनुसार नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग को अनुमान्य आरक्षण की सुविधा तभी दी जा सकती है जब उम्मीदवार की जाति राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग में वर्गीकृत हो तथा उम्मीदवार राज्य का अधिवासी हो। किन्तु परिपत्र संख्या 4722 दिनांक 14.08.2008 के अनुसार वैसे सरकारी कर्मी जो राज्य गठन के पूर्व आरक्षित श्रेणी में नियुक्त हुए है और संवर्ग विभाजन के आधार पर झारखण्ड राज्य में पदस्थापित किये गये है तथा वे बिहार राज्य के निवासी है उनकी आरक्षण श्रेणी अप्रभावित रहेगी और वे आरक्षित श्रेणी के सरकारी कर्मी माने जायेंगे। इस प्रकार ऐसे पदस्थापित कर्मियों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–08/2013 का0–12082 /रांची, दिनांक 14/12/13

प्रतिलिपि–दो सौ प्रतियों में उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–241 दिनांक–06.12.2013 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–08 / 2013 का॰–...12082.........../रांची, दिनांक 14/12/13

प्रतिलिपि–उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रांची तथा अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–11, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(12)

श्री बन्धु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 03 का प्रश्नोत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पंचम संयुक्त असैनिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या– 06/2013 में आवेदक के उम्र की गणना 01 अगस्त 2009 से की गयी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित आदेश W.P.(C) No.- 4301 of 2013 दिनांक 07.08.2013 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार को पंचम सिविल सेवा परीक्षा में आवेदक उम्र की गणना 2007 से करने का निदेशित किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायनिदेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए समीक्षोपरान्त आदेश संख्या 8929 दिनांक 12.09.2013 द्वारा इनके दावा को निरस्त कर दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार पंचम सिविल सेवा परीक्षा में आवेदक के उम्र की गणना 2007 से करने तथा माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश की अनदेखी करने वाली दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 के आलोक में ऐसा प्रश्न नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 2(4)/विधानसभा–09–04/2013 का० 12027 / राँची, दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०– 240 वि.स. दिनांक 06.12.2013 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/13

(सरोज श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव।

D:\LETTER\Vidhan Sabha\VIDHAN SABHA Question- 2013.doc

(13)

श्री सौरभ नारायण सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले अ०सू०–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मियों का उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ड्युटी करने पर उग्रवादी भत्ता (रिक्स) एलाउन्स दिया जाता है ;	एतद् संबंधी सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नही है। सूचना एकत्रित की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्यों के थाना में पदस्थापित डी०ओ० धारी कर्मियों को ही सिर्फ दुरूह भत्ता दिया जाता है वहाँ पर प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों को नहीं ;	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पदस्थापित कर्मियों को दुरूह भत्ता (मूल वेतन के 15 प्रतिशत समतुल्य) भुगतान किया जाता है। जबकि प्रतिनियुक्त कर्मियों को दैनिक भत्ता एवं राशन मनी (1000 रूपये मासिक) का भुगतान किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि पारा मिलेट्री एवं अन्य राज्यों के पुलिस कर्मियों को राशन भत्ता 2250 रूपये 2500 देय है, जबकि झारखण्ड पुलिस को 1000/– रूपये दिया जाता है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। निकटवर्ती राज्य बिहार द्वारा राशनमनी ₹ 2000.00 (दो हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह दिया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अन्य राज्यों की तहत झारखण्ड पुलिस को भी उपर्युक्त सुविधा प्रदान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	संबंधित सूचना के प्राप्त होते ही तत्संबंधी निर्णय यथाशीघ्र लिया जायगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–06/2013 7348/ रॉंची, दिनांक–15/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/13

सरकार के उप सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–16.12.2013 को पूछे जानेवाले

अ०सू०–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखंड में उत्काडीह में 07 जुलाई 1998 को उग्रवादियों द्वारा आठ ग्रामीणों की हत्या कर दी गयी थी ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि 08 जुलाई 1998 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार ने घटनास्थल पर आकर मृतकों के आश्रितों को नौकरी व मुवावजा की घोषणा की थी	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि आज 15 वर्ष बाद भी आश्रितों को नौकरी नही मिली है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आश्रितों को नौकरी देने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	प्रासंगिक घटना झारखण्ड राज्य के गठन से पूर्व की है। बिहार सरकार द्वारा संबंधित आश्रितों को सरकारी नौकरी दिये जाने हेतु आदेश निर्गत नही किये जाने के कारण नौकरी नही दी जा सकी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–18 / वि०स०–103 / 2013 7334 / राँची, दिनांक–14/12/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के उप सचिव।

15

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–08 की उत्तर सामग्री –

प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना के मूल रैयत प्रधान को सम्मानित राशि दी जाती है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं0–1649 दिनांक 11.04.08 के द्वारा संथाल परगना प्रमण्डल के अंतर्गत कार्यरत पारम्परिक ग्राम प्रधानों को सम्मान राशि देने का निर्णय लिया गया है।
2.	क्या देवघर जिला के मूल रैयत प्रधान को सम्मानित राशि नहीं दी जा रही है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार देवघर जिला के मूल रैयत प्रधान को सम्मानित राशि देने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संथाल परगना क्षेत्र के पारम्परिक ग्राम प्रधानों को परम्परागत ग्रामीण प्रशासन में उनके द्वारा किये जा रहे पुलिस संबंधी कार्यो के लिए सम्मान राशि गृह विभाग द्वारा दिया जाता है। राजस्व कार्यो के लिए मूल रैयत प्रधानों को सम्मान राशि गृह विभाग द्वारा नही दिया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
गृह विभाग।

ज्ञापांक–17/वि0स0 109/2013–7340/राँची, दिनांक 14.12.2013

प्रतिलिपि– 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/13

सरकार के उप सचिव।

(16)

श्री बन्धु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 06 का प्रश्नोत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 2959, दिनांक 03.04.2013 झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य वर्ग के आवेदक को 04 अवसर तथा पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 05 अवसर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सभी वर्ग के आवेदक की उम्र सीमा 05 वर्ष कम कर दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक। उल्लेखनीय है कि अधिकत्तम उम्र सीमा पार करने के कारण योग्य उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे थे, अतः विशेष परिस्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों के लिए पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु कट ऑफ डेट का निर्धारण 01.08.2009 किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार निर्धारित आयु–सीमा की पात्रता रहने तक उम्मीदवार को झारखण्ड लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने तथा पंचम सिविल सेवा परीक्षा में आवेदक की उम्र सीमा को 05 वर्ष बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 05 वर्ष बढ़ाने के संबंध में सरकार कोई विचार नहीं रखती है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 2(4)/विधानसभा–09–05/2013 का० 12028/ राँची, दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 239 वि.स. दिनांक 06.12.2013 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/13

(सरोज श्रीवास्तव)
सरकार के विशेष सचिव।